

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2



छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

उ. ग. राज्य-2416

क्रमांक

अनुग्रह समाज सेवी संस्था, रायपुर

यह प्रमाणित किया जाता है कि

ई-2/6 घासीदास सोसायटी

रायपुर

समिति जो न्यू राजेन्द्रनगर

ब्रह्मसील

रायपुर


जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

15-4-2009

के अधीन को पंजीयित की गई है।

दिनांक 15-4-2009 अग्रेल माह सन् 2009



(Handwritten Signature)
(डी. डी. महन्त) सचिव
समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

For ANUGRAH SAMAJSEVI SANSTHA

SECRETARY



प्ररूप - पांच
(नियम - 9)

सोसाइटी (परिवर्तित नाम) के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक: 2416
दिनांक: 15/04/2009

संशोधन क्रमांक: 122200931786001
संदर्भ क्रमांक: 1842982383

यह प्रमाणित किया जाता है रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ANUGRAH SAMAJ SEVI SANSTHA RAIPUR ने, जो H.NO. 41, JAL VIHAR COLONY, RAIPUR (C.G.) तहसील Raipur जिला Raipur में स्थित है अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब अनुग्रह वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन तारीख 06-10-2023 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।



अनुपमा कुजूर
समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate and does not require seal and signature. This certificate can be verified online at <http://rfas.cg.nic.in/> through Certificate No. and Reference No.

Digitally signed by अनुपमा कुजूर
Date: 2023.10.06 17:15:50 +05:30
Reason: For Issuing Amendment in Registered Society
Location: State Society

कार्यालय पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, नया रायपुर

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक: 2416
संदर्भ क्रमांक: 1842982383

संशोधन क्रमांक: 122200931786001
दिनांक: 06/10/2023

// आदेश //

संस्था अनुग्रह वेलफेयर फाउंडेशन पता- H.NO. 41, JAL VIHAR COLONY, RAIPUR (C.G.) तहसील Raipur जिला Raipur पंजीयन क्रमांक 2416 दिनांक 15/04/2009 द्वारा पंजीकृत संस्था है, जिस पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित नियम 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं।

उक्त संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 10/13 के प्रावधानों के अंतर्गत नियम-9 के निर्धारित प्रारूप में नाम में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 06/10/2023 को प्रस्तुत किया गया है, इसके साथ संशोधन हेतु आयोजित कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 06/07/2023 आमसभा की बैठक दिनांक 26/07/2023 तथा विशेष आमसभा की बैठक दिनांक 26/08/2023 की प्रति संलग्न किया गया है। संशोधन हेतु निर्धारित मद में संशोधन शुल्क रूपये 1001.00/- का ऑनलाइन चालान प्रस्तुत किया गया है।

संशोधित नियमावली में तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरित प्रति भी प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण उपरांत प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप इसके पूर्व के प्रचलित ज्ञापन एवं नियमावली स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। भविष्य में संशोधित नियमों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

पृष्ठांकन-

अध्यक्ष / सचिव अनुग्रह वेलफेयर फाउंडेशन की ओर पालनार्थ प्रेषित

अनुपमा कुजूर
समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़



This is computer generated certificate and does not require seal and signature. This certificate can be verified online at <http://rfas.cg.nic.in/> through Certificate No. and Reference No.

Digitally signed by अनुपमा कुजूर
Date: 2023.10.06 17:15:03 +05:30
Reason: For Issuing Amendment in Registered Society
Location: State Society